फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी	**अप्रार्थीगण**
गोदावरी **बनाम**	**भंवरलाल वगैरह**

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र

मुकदमा नं. 55 /2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
22/07/2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है, प्रार्थीनी के दादा स्व. गोकूलराम जी के कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम सुरपालिया में खसरा नं. 289 328, 360, टालनियाउ में खसरा नं. 291, तथा मौजा निम्बोड़ा में खसरा नं. 81, 68 के रूप में स्थित है, जिनमें प्रार्थीनी का जन्म से हक अधिकार है तथा उक्त खेतायो में से ग्राम निम्बोड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 359/68, 360/68, 361/68 कुल रकबा 20.01 बीघा अर्थात 3.2456 हैक्टैयर भूमि में से 11 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है, तथा शेष भूमि पर प्राथीनी की बहन की संतान कालूराम, कानाराम का कब्जा काश्त है। जो कि परिवाजन के द्वारा किये गये मौखिक विभाजन अनुसार ही प्रार्थीनी काबिज है। परन्तु किसी कारणवशः प्रार्थीनी व उसकी बहिन सोनादेवी के पुत्रगण का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण प्रार्थीनी व उसके बहिन के पुत्रगणों के कब्जे काश्त की भूमि का खातेदारी की आड़ में बैचान हस्तान्तरण करने की धमकिया दे रहे है तथा आमादा है। यदि खातेदारी की आड़ में अप्रार्थीगण हिस्सा विशेष की भूमि (प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि) का बैचान हस्तान्तरण कर देते है अपूरणीय क्षति प्रार्थीनी को होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि वे राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार दखलन्दाजी न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात् एवं प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टयां विवादग्रस्त भूमि ग्राम के खसरा नं. 359/68, 360/68, 361/68 की भूमि पुश्तैनी बडेर की होना तथा विवादग्रस्त खेताय के बंटवारा को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद होना सम्पुष्ट होता है, परन्तु उक्त खेताय के कौनसे भाग पर प्राथीर्नी का कब्जा काश्त है, यह साबित नहीं है साथ ही यदि विवादग्रस्त खेतायों की भूमि का खातेदारी की आड़ में अप्रार्थीगण द्वारा बैचान, हस्तान्तरण तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीनी को होना प्रतीत होती तथा मामला प्रथम दृष्टयां, सुविधा का संतुलन के बिन्दू भी प्रार्थीनी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को ग्राम–निम्बोड़ा तहसील जायल के खसरा नं. 359/68, 360/68, 361/68 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे जाने बाबत जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण जरिये सम्मन के जवाबदेही हेतु तलब हो। पत्रावली दिनांक **16.08.2021** को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
16/8/21:	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० मुकदमा में अप्रार्थी सं. 3 to 7, 10 to 13, 16, 17, 19, 20 to 24 की ओर से [signature]	

PTO

से वकालतनामा पेश किया है एवं जमानत अर्जी नं. 152 के समक्ष तामील हुआ/बाकी है मिसल वास्ते वापसी तलवी इत्यादि दिनांक: 8/9/14 को पेश हो।

08/9/14: ~~पत्रावली पेश हुई~~ वकलनामा जमा गया आदेश की पालना में मिसल दिनांक: 28/10/14 को पेश हो।

28/10/14: वकलनामा जमा गया आदेश की पालना हेतु एक अवसर चाहा जो दिया जाता है मिसल दिनांक- 10.1.22 को पेश हो।

10/1/22

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी मी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 25.1.22 को प्रस्तुत करें।

25.1.22

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी मी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 16.3.22 को प्रस्तुत करें।

16.3.22

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी मी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 28.4.22

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

मुकदमा नं.– /.

किस्म प्रकरण :

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
20/4/2022	[illegible] आवश्यक [illegible] मिस्टिग [illegible] [illegible] इसलिए [illegible] [illegible] 28/6/22 [illegible]	
28/6/22	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल वाद निर्णित हो चुका है। वाद के अभाव में प्रार्थना पत्र को चलाने का औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी रहे। (हस्ताक्षर) सहायक [illegible]	